# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

| मिसल संख्याः | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 75 / अपील / 2017 | 14.02.2017 | 04.07.2018 |

हेमराज, राधेश्याम पिसरान मोती जाति अहीर निवासी ग्राम धनाव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी। (राजस्थान)

— अपीलांट

— बनाम —

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26.10.2016
नायब तहसीलदार, दबलाना
अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :—

अपीलांट की ओर से — श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से — पेरोकार सरकार

## —: निर्णय :—

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 02, खसरा नं. 204/844 रकबा 01 बीघा, खसरा नं. 204/845 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं. 204/846 रकबा 17 बिस्वा कुल रकबा 04 बीघा 03 बिस्वा किस्म चरागाह वाके ग्राम धनाव तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी 144/— रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु

स्थिति व विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट गरीब कृषक है। जिसके पास आबादी भूमि में कोई मकान नहीं है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि पर मकान बाड़ा बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है जो अपने पिता के जीवनकाल से ही गत 60–70 वर्षो से निवास कर व काश्त कर अपने परिवार का गुजर–बसर कर रहा है। अपीलान्ट उक्त भूमि को नियमन कराने का अधिकार रखता है। अपीलान्ट ने कोई नया अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट को भौतिक रूप से मौके पर से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर फसल बुवाई कर अतिक्रमण कर रखा है। राज्य सरकार ने सिवायचक व चरागाह भूमि पर 1970 से पूर्व के कब्जो को नियमन करने के आदेश जारी किये हुये है तथा राज्य सरकार ने परिपत्र क्र. 9(6)/2000/ दिनांक 30.01.2006 के द्वारा अधिसूची में समस्त ग्रामीण क्षैत्रो में सिवायचक व अन्य गैरमूमकीन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरो के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों का नियमन करने के निर्देश किये गये थे जो अब राज्य सरकार ने दिनांक 01.01.1995 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 कर दिया है अर्थात 01.01.2000 के पूर्व की अतिक्रमण की भूमि को नियमन करवाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट उक्त अतिक्रमित भूमि को नियमन करने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत् कोई स्वतंत्र साक्ष्य व दस्तावेज नहीं लिये है केवल पटवारी के बयानो के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती साबित किये बिना सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को उक्त अतिक्रमित भूमि जो अपीलान्ट के कब्जे में है नियमन करने का आदेश फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तथा अपीलान्ट ने अतिक्रमित भूमि को नियमन करने हेतु निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय व अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये है। जिससे अपीलान्ट का पुराना अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट, पटवारी के

अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा काश्त होने से नियमन का अधिकार रखता है। अपीलान्ट को विवादित भूमि नियमन की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट का पुराना कब्जा काश्त होने बाबत् कोई साक्ष्य व दस्तावेज नहीं है एवं ना ही अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रस्तुत किये है। जिससे अपीलान्ट का पुराना कब्जा काश्त साबित होता हो। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती प्रमाणित करने के सम्बन्ध में पूर्व निर्णय की व मौके से बेदखल करने की रिपोर्ट नहीं है, बिना दस्तावेज व साक्ष्य के अपीलान्ट को पश्चातवर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट को बिना पश्चातवर्ती साबित किये सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट के इस कथन की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी बयान में है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी गई है। इस आशय की पालना रिपोर्ट अपीलान्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा तथा तहसीलदार उक्त पालना रिपोर्ट की वस्तु स्थिति का मौका देखकर पालना से पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है और जुर्माना जमा करा दिया गया है तो सिविल कारावास की सजा निरस्त समझी जावें। यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने व वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ने में असफल रहता है तो विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सिविल सजा यथावत रहेगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)